an>

Title: Regarding shifting the control of cotton production and regulation from the Ministry of Textiles to Ministry of Agriculture.

श्री नारणभाई काछड़िया (अमरेली) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान देश के कपास उत्पादन एवं उसके रेग्युलेट करने की प्रकिया की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ।

सन् 1951-52 में भारत में 65 लाख हेक्टेयर भूमि पर कपास का उत्पादन होता था, जिससे 38 लाख कॉटल बेल्स/गांठों का उत्पादन होता था। आज 2015-16 में भारत में कपास की खेती 118 लाख हैक्टेयर भूमि पर होती है और उससे कुल 352 लाख कॉटन बेल्स का उत्पादन होता है।

जब कपास का मूल्य "न्यूनतम समर्थन मूल्य " से नीचे चला जाता है तो टैक्सटाइल मंत्रालय द्वारा एम.एस.पी. ऑपरेशन कंट्रोल किए जाते हैं, जो कि न्यायसंगत नहीं दिखता है। यदि कपास को अन्य कृषि उत्पादों की भांति कृÂिष मंत्रालय के अधीन लाया जाता है तो कपास के शुद्ध एवं सत्यापित बीज की उपलब्धता से ले कर, कपास उत्पादकता को बढ़ाने हेतु प्रयास के साथ-साथ सभी पॉलिसी निर्णय कपास उत्पादकों के आर्थिक उत्थान एवं उनके उत्पादन, यानी कपास का बेहतर मूल्य दिलवाया जाना इत्यादि निर्णय कृÂिा मंत्रालय द्वारा लिए जा सकेंगे।

आज गुजरात पूरे देश में नंबर एक कपास उत्पादक राज्य है जो कि पूरे देश के कुल कपास उत्पादन का लगभग 30औ उत्पादन करता है। अतः इस संबंध में लिया गया कोई भी निर्णय गुजरात के कपास उत्पादकों के हितों को प्रभावित करेगा। वर्तमान में कपास के उचित मूल्य के लिए किसानों को टैक्सटाइल मंत्रालय के पास गुहार लगानी पड़ती है, जबकि टैक्सटाइल मंमत्रालय में प्रायः घरेलू टैक्सटाइल मिलों का ही ध्यान रख कर निर्णय लिए जाते हैं

आजादी के 65 वर्षों के बाद अब समय आ गया है कि जनहित में कपास को टैक्सटाइल मंत्रालय के कंट्रोल एवं रेग्युलेशन से हटा कर कृÂिष मंत्रालय के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत लाया जाए, जिससे छोटे और सीमांत कपास उत्पादकों के हितों की रक्षा की जा सके तथा किसानों को कपास के शुद्ध एवं सत्यापित बीज उपलब्ध कराने के साथ साथ उनके उत्पादन यानी कपास के बदले उन्हें बेहतर मूल्य दिलवाया जाए।

अंत में, मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि जनहित में यथाशीघ्र कपास को टैक्सटाइल मंत्रालय के कंट्रोल एण्वं रैग्युलेशन से हटाकर कृÂिा मंत्रालय के कार्यक्षेत्र में लाया जाए।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री नारणभाई काछड़िया द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।